चित्रकूट-पुलिस

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 03 अभियुक्तों के कब्जे से 45 क्वार्टर देशी व 42 लीटर कच्ची शराब बरामद की।

(i). उ0नि0 श्री मुकेश परिहार थाना मानिकपुर तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त हरीशंकर पुत्र रामपाल निवासी सरहट थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 16 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री इमरान खान थाना राजापुर तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त वीरेन्द्र सोनकर पुत्र बिन्दा सोनकर निवासी धोबीगंज कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 45 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(iii). उ0नि0 श्री उमाशंकर यादव चौकी सीतापुर तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त दिलशाद खान पुत्र दिलदार खान निवासी रामायण मेला थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 26 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 07 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(i). चौकी प्रभारी सरैंया श्री यदुवीर सिंह तथा उनकी टीम द्वारा मु0नं0 773/2021 धारा 9/51 वन्य जीव अधिनियम के वारंटी अभियुक्त 1.नंद किशोर पुत्र स्वा0 मुन्ना प्रसाद 2, लखन पुत्र कामता 3.शिव मिलन पुत्र मोती लाल 4.गंगा प्रसाद पुत्र राम प्रसाद 5.कल्लू पुत्र स्व0 भोंडा निवासीगण ग्राम गड़चपा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. चौकी प्रभारी सरैंया श्री यदुवीर सिंह
2. मुख्य आरक्षी दशरथराम
3.आरक्षी मनोज कुमार
4.आरक्षी राजमंगल

(ii). उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्य चौकी सीतापुर तथा उनकी टीम द्वारा मु0सं0 3787/2016 धारा 354,504,506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त महेश पुत्र नंगू मोहल्ला राघवपुरी कस्बा सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री मेवा लाल मौर्य चौकी सीतापुर
2.उ0नि0 श्री उमाशंकर यादव
3.आरक्षी रविशंकर

(iii). उ0नि0 श्री रविकान्त राय थाना रैपुरा तथा उनके हमराही द्वारा मु0नं0 109/2020 धारा 147,148,149,504,506,452,323,342 भादवि के वारण्टी अभियुक्त लवकुश पुत्र लाल निवासी रैपुरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री रविकान्त राय थाना रैपुरा
2.आरक्षी चन्द्रभूषण राय

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने भोली-भाली

जनता में भय आतंक फैलाकर गुण्डा-गर्दी करने वाले 08 अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा तथा 02 अभियुक्तों के विरुद्ध मिनी गुण्डा की कार्यवाही की गयी।

(i).प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी द्वारा अभियुक्त 1.राजू खान 2.रहुफ खान पुत्रगण नत्थु खान निवासी धौरहरा 3.अखिलेश उर्फ कुमकुम पुत्र राधेकृष्ण उपाध्याय निवासी नहरा 4.कल्लू उर्फ ओमप्रकाश यादव पुत्र जागेश्वर निवासी रामपुर 5.भैरवलाल उर्फ भैरवदयाल उर्फ भूरा पुत्र भगौना निवासी औदहा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को विरुद्ध धारा 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही तथा अभियुक्त 1.भारतलाल पुत्र राजनारायण 2.रामलखन पुत्र लालजी निवासीगण हरिसनपुर थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(ii).प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार द्वारा अभियुक्त 1.उमाकान्त पुत्र त्रिवेणी प्रसाद निवासी छीबो 2. नत्थु पुत्र लोकनाथ गोस्वामी 3. मनीष पुत्र नत्थु गोस्वामी निवासीगण सोनहटी कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट के धारा 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही गयी।

(4). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 05.05.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।